जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 के अन्तर्गत गठित

भारतीय के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान उपलब्ध करता है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतायें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपर्युक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के सभी 13 जिलो में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी नागरिक को आर्थिक या अन्य नियोग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वचिंत न किया जाए, निःशुल्क विधिक सहायत प्रदान करना, विधिक साक्षारता/जागरूकता शिविर, लोक अदालतों को आयोजित करने और अधिनियम के अधीन जिला प्राधिकरण को प्रदत्त या सौंपे गए किन्ही अन्य कृत्यों का पालन करने हेतु गठित किया है। उक्त अधिनियम के अध्याय II और III सभी स्तरों अर्थात राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप–मण्डल पर विधिक सेवा संस्थाओ के गठन के लिये प्रावधान उपलब्ध है। अधिनियम में विधिक मामलों में पात्र व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करने के लिये उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन का भी प्रावधान है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायधीश की प्रत्यक्ष देखरख में है जो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और पद के आधार पर नियुक्त किया जाता है। राज्य प्राधिकरण, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

जिला विधिके सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय चला निर्धन से मिलने के उद्देश्य पर कार्य करता है। संवैधानिक परिकल्पना, न्याय को समान अधार पर बढावा देने पर प्रावधान करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न रहे और सभी के लिये न्याय प्राप्त करने के लिये समान अवसर सुनिश्चित करते हुये समाज के सभी वर्गो तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य–

पात्र व्यक्तियों और समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान करना।

- निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श प्रदान करना,
- न्यायालयो और न्यायाधिकरणों के समक्ष मामलों के संचालन में निःशुल्क विधिक सेवाए प्रदान करना,
- जिले में नियमित लोक अदालतों का आयोजन तथा विशेष श्रेणी के मामलों के लिये विशेष लोक अदालतों का आयोजन करना। लोक अदालतों में शुल्क और देरी सीमित होती है। इससे त्वरित न्याय सुनिश्चित होता है,
- प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करके सुलह तंत्र के माध्यम से मुकदमें–पूर्व विवाद समाधान की जिम्मेदारी लेना, जहां सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से सम्बन्धित मामलों को निपटान के लिए लिया जाता है,
- ग्रामीण, दूरस्थ, सीमान्त, झुग्गी–झोपडी आदि क्षेत्रों में विधिक साक्षरता/जागरूकता, शिविर/कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर, मोबाईल बैन के द्वारा आयोजन करना,
- सामाजिक कल्याण विधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों के बारे में समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित करने के लिए आम जनमानस में विधिक साक्षरता और जागरूकता को फैलाना,
- विद्यालयों में स्थापित विधिक साक्षरता क्लबों के माध्यम से स्कूली बच्चों में जागरूकता फैलाना और उन्हे नशीली दवाओं के दुरूपयोग, साइबर अपराध, सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, लिंग समानता, बालिका सशक्तिकरण, बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों आदि के बारे में जागरूक करना,
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत बन्दी निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार है। इसमें विधिक परामर्श, आवेदन पत्र तैयार करना और कारागार अपील दायर करने में मदद करना शामिल है,
- जिला कारागार, नई टिहरी में विधिक सेवा क्लिनिक कारागार में स्थित है, जो बन्दीयों को विधिक सेवा प्रदान करते है,
- बन्दीयों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना जिनके मामले अदालत में लंबित है,
- आपराधिक मामलों में, गिरफ्तारी पूर्व रिमांड, परीक्षण और अपील स्तर पर विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना,
- कारागार, विद्यालयों, दूरस्थ व सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये चिकित्सा/स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना,

- कारागार में निरूद्ध बन्दीयों के लिए कला कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना ताकि कारागार से बाहर आने के पश्चात उन्हें समाज में पुनः एकीकृत होने और पुनर्वास में मद्द मिल सके,

- विद्यालय, कॉलेजों, कारागारों, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए विधिक साक्षरता शिविर/जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार, नुक्कड़–नाटक, गोष्टी व अन्य प्रतियोग्यता का आयोजन करना,

- आपदा प्रबंधन कार्यशालाओं का आयोजन आम जनमानस, पराविधिक कार्यकर्ता हेतु सम्बन्धित विभाग की सहायता से करना,

- समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक कल्याण कानूनों द्वारा दिये गए अधिकारों लाभों और विशेषाधिकारों के बारे में शिक्षित करना, विधिक सहायता केन्द्र के माध्यम से विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना,

- जिले के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित जिले के सभी हिस्सों में असंगठित क्षेत्रों श्रमिक, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों आदि के लिए निःशुल्क चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना,

- ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण सौंपता है,

उत्तरकाशी जिला विधिक सेवा प्राधिकारण संरचना–

अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश - श्री गुरूबख्श सिंह

सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन)– श्रीमती श्वेता राणा चौहान

जिला विधिक सेवा प्राधिकारण उत्तरकाशी का पता और सम्पर्क–

जिला विधिक सेवा प्राधिकारण, उत्तरकाशी का कार्यालय ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर उत्तरकाशी में स्थित है।

- कार्यालय का फोन नम्बर– 01374–222711 है।

- सचिव का मोबाईल नम्बर 9412078165 है।

- आधिकारिक ई–मेल पता– **uttarkashi.dlsa@gmail.com**\

तालुका विधिक सेवा समिति–

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक तालुक या मंडल में विधिक सेवाओं के समन्वय के लिए तहसील विधिक सेवा समिति की स्थापना करता है।
- उत्तरकाशी जिले में तहसील विधिक सेवा समिति पुरोला और बड़कोट दो तहसील विधिक सेवा समिति है।
- सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पुरोला और बड़कोट तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष है।
- तहसीलदार पुरोला और बड़कोट तहसील विधिक सेवा समिति पुरोला और बड़कोट के पदेन सचिव है।

तहसील विधिक सेवा समिति उत्तरकाशी की सरंचना–

पुरोला–

- अध्यक्ष/न्यायिक मजिस्ट्रेट– श्रीमती मीनाक्षी शर्मा
- सचिव– तहसीलदार पुरोला
- तहसील विधिक सेवा समिति कार्यालय बाह्य न्यायालय परिसर पुरोला में स्थित है।
- आधिकारिक ई–मेल ukdc.purola@uk.gov.in

बडकोट–

- अध्यक्ष/न्यायिक मजिस्ट्रेट– श्रीमती मीनाक्षी शर्मा
- सचिव– तहसीलदार बडकोट
- तहसील विधिक सेवा समिति कार्यालय बाह्य न्यायालय परिसर बडकोट में स्थित है।
- आधिकारिक ई–मेल ukdc.barkot@uk.gov.in

विधिक सहायता क्या है?

- विधिक सहायता उन लोगों को निःशुल्क विधिक सेवाओं का प्रावधान है जो अधिवक्ता का खर्चा नही उठा पाते है।
- इसमें अदालत में प्रतिनिधित्व, शुल्क का भुगतान और विधिक दस्तावेज तैयार करना शामिल है।

निःशुल्क विधिक सेवाओं की प्रात्रता–

विधिक सेवा सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अन्तर्गत सूचीवद्व किये गये समाज के वे वर्ग जो निःशुल्क सेवाओं के हकदार है, निम्नवत हैः–

- अनुसूचित जाति या अनुसचित का सदस्य,

- संविधान के अनुच्छेद में 23 में वर्णित मानव दुर्व्यापार से पीड़ित अथवा बेगार,
- महिला या बच्चा हो,
- मानसिक रूप से बीमार या विकलांग/दिव्यांग व्यक्ति,
- यदि व्यक्ति अवांछनीय परिस्थितियों जैसे कि सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक आपदा का शिकार हो,
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का संख्यांक 104) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर संरक्षक गृह में अभिरक्षा या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का संख्यांक 53) की धारा 3 के खंड (ञ) के अर्थ के भीतर किशोर गृह में अभिरक्षा या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ के भीतर मनोविकार अस्पताल या मनोविकार नसिंग होम में अभिरक्षा सहित अभिरक्षा में हो,
- भूत पूर्व सैनिक,
- ट्राजेंडर समुदाय के व्यक्ति,
- वरिष्ठ नागरिक,
- एच.आई.वी./एड्ड संक्रमित व्यक्ति,
- ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतो से वार्षिक आय तीन लाख या तीन लाख रूपये से कम हो या यदि मामला उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में है तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अन्य उच्चतर राशि से कम हो,

<u>पैनल अधिवक्ता के माध्यम से तहसील विधिक सेवा समिति में विधिक सहायता–</u>

उत्तराखण्ड के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ''पैनल अधिवक्ता'' उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित एक अधिवक्ता या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिश को संदर्भित करता है ताकि पात्र व्यक्तियों को मुक्त विधिक सहायता प्रदान की जा सके, जिन्हे विधिक सहायता की आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से सहायता की आवश्यकता है, अनिवार्य रूप से जिले के भीतर विभिन्न विधिक मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल पर एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना।

<u>पैनल अधिवक्ता कौन है?</u>

- पैनल के अधिवक्ता विधिक व्यवसायी है जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।
- वे विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सिविल, आपराधिक, या संवैधानिक के लिए अलग–अलग पैनल का हिस्सा हो सकते है।
- न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई भी अधिवक्ता पैनल अधिवक्ता बनने के लिए पात्र है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी में पैनल अधिवक्ताओं की सूची–

- श्री अमित रावत, मोबाईल नं0– 9627212156
- श्री गोविन्द सिंह, मोबाईल नं0–9897903829
- श्री अमित असवाल, मोबाईल नं0– 8923307482
- श्री पदम दत्त जोशी, मोबाईल नं0– 9411331168
- श्री मोहन लाल, मोबाईल नं0– 9411109961
- श्री जयकृष्ण बहुगुणा, मोबाईल नं0– 8273700585
- श्री अभयराज सिंह बिश्ट, मोबाईल नं0– 9634267754
- श्रीमती पमिता पैन्यूली थपलियाल, मोबाईल नं0– 9927461125
- श्री आनन्द प्रकाश, मोबाईल नं0– 7464882435
- श्रीमती पुष्पा गौतम, मोबाईल नं0– 7464882435
- श्री अनूप सिंह बिश्ट, मोबाईल नं0– 9897345679
- श्री विनोद शाह, मोबाईल नं0– 7495446221
- श्री प्रेम सिंह राणा, मोबाईल नं0– 7060217751
- श्री अरविन्द भण्डारी, मोबाईल नं0– 9410977344
- श्री प्रवीण कुमार, मोबाईल नं0– 9412934238
- श्री राजेश कुमार राणा, मोबाईल नं0– 9412941410
- श्री कीर्तन सिंह रौतेला, मोबाईल नं0– 8791596929

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली (लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCs) के माध्यम से कानूनी सहायता–

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली अपराधों के आरोपी या दोषी लोगों को विधिक सहायता प्रदान करता है। लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल आपराधिक मामले के हर चरण में गिरफ्तारी–पूर्व से लेकर अपील तक कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली कैसे काम करता है–

- विधिक सहायता के मामलों पपर काम करने के लिए अधिवक्ता को पूर्णकालिक नियुक्त किया जाता है।
- वे एक समर्थन प्रणाली के साथ्ज्ञ काम करते है।
- वे विधिक परामर्श और सहायता प्रदान करते है।
- वे मजिस्ट्रेट न्यायालय और सत्र न्यायालयों में विचारण और अपील, जैसा भी मामलों का संचालन करते है।
- वे मजिस्ट्रेट अदालत और सत्र न्यायालयों में जमानत आवेदनों को संभालते है, जैसा भी मामला हो।
- वे कारागार में जाकर बन्दीयों की मदद करते है।

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली का उपयोग कौन कर सकता है–

- जो लोग हिरासत में है।
- वे लोग जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते है।

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली क्या प्रदान करता है–

- पूर्व–गिरफ्तारी, रिमाण्ड, परीक्षण और अपीलीय चरणों में विधिक सेवाये।
- आपराधिक मामलों में विधिक प्रतिनिधित्व।
- निःशुल्क विधिक सहायता सलाह।

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली का उद्देश्य–

- समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाये प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य विकलांग नागरिकों को न्याय तक पहुंच से वंचित नही करते है।

विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली उत्तरकाशी संरचना–

- विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली उत्तरकाशी का कार्यालय ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर में स्थित है।
- श्री बद्री प्रसाद नौटियाल (मुख्य विधिक सहायता, बचाव अधिवक्ता) मोबाईल नम्बर– 9411771912.
- श्री अरविन्द सिंह चौहान (सहायक विधिक सहायता, बचाव अधिवक्ता) मोबाईल नम्बर 9634466680.

मध्यस्थता–

मध्यस्थता एक तटस्थ तीसरे पक्ष की मदद से बातचीत की एक प्रक्रिया है, जिसे मध्यस्थता कहा जाता है। यह लोंगों के बीच संघर्षों को हल करने का एक संरचित तरीका है।

मध्यस्थों की सूची–

- श्री एस.पी. नौटियाल
- श्री अमित असवाल
- श्री अभयराज सिंह बिष्ट
- श्री पदम दत्त जोशी
- श्री जयकृष्ण बहुगुणा
- श्री विजयपाल सिंह बिष्ट
- श्री अरविन्द भण्डारी

मध्यस्थता कैसे काम करती है?

- मध्यस्थ पक्षकारों को मद्दो की पहचान करने और विकल्पों का पता लगाने में मद्द करता है।
- मध्यस्थ खुले संचार को प्रोत्साहित करता है और पक्षकारों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने में मद्द करता है।
- मध्यस्थ प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है।
- मध्यस्थ के पास विवाद के परिणाम का फैसला करने की शक्ति नहीं है।

मध्यस्थता का उपयोग कब किया जाता है?

- मध्यस्थता का उपयोग अक्सर नागरिक विवादो और उनके वैवाहिक और अन्य संबंधित मुद्दो के बारे में अलग–अलग परिवारों के बीच विवादों को हल करने के लिए किया जाता है।
- वाणिज्यिक विवादो को हल करने के लिए मध्यस्थता का उपयोग किया जा कसता है।

मध्यस्थता के लाभ–

- मध्यस्थता एक लचीली प्रक्रिया है जिसे प्रत्येक मामले की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
- मध्यस्थता विवाद समसधान के लिए एक अनौपचारिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाता है।
- मध्यस्थता पार्टियों को अपनी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियिों को जारी रखने की अनुमति देती है।

वाणिज्यिक विवादों में पूर्व संस्थान मध्यस्थता–

वाणिज्यिक मध्यस्थता एक गोपनीय प्रक्रिया है जो व्यवसायों को विवादों को हल करने में मदद करती है। यह एक समझौते तक पहुंचने का एक संरचित और लचीला तरीका है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

वाणिज्यिक मध्यस्थ –

सभी वणिज्यिक मामलों में, जिनके बारे में वाणिज्यिक अदालत मामले की कोशिश करने के लिए जूरी का निर्णय ले रही है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पहले प्री–इंस्टीटूशन मध्यस्थता दर्ज करना अनिवार्य है।

वाणिज्यिक मध्यस्थों की सूची

- श्री एस.पी. नौटियाल, मोबाईल नं0– 9411188147.
- श्री अमित असवाल, मोबाईल नं0– 8923307482.
- श्री अभयराज सिंह बिष्ट, मोबाईल नं0– 9634267754.
- श्री पदम दत्त जोशी, मोबाईल नं0– 9411331168.
- श्री जयकृष्ण बहुगुणा, मोबाईल नं0– 8273700585.
- श्री विजयपाल सिंह बिष्ट, मोबाईल नं0– 9411143952.
- श्री अरविन्द भण्डारी, मोबाईल नं0– 9410977344.

वाणिज्यिक मध्यस्थता कैसे काम करती है–

- **गोपनीयताः–** समझौते मध्यस्थता के दौरान चर्चा की गई बातों की रक्षा करते है, इसलिए पार्टियां खुलकर संवाद कर सकती है।
- **चरणः–** प्रक्रिया में आमतौर पर कई चरण होते है, प्रत्येक का निर्णय अंतिम में होता है।
- **सहयोगः–** समाधान खोजने के लिए पार्टियां मिलकर काम करती है।
- **प्रतिबिम्बः–** मध्यस्थता पार्टियों को उनके पदों के वाणिज्यिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने में मद्द करता है।
- **लचीलापनः–** कोई भी पक्ष किसी भी समय मध्यस्थता समाप्त कर सकता है।

लोक अदालत–

लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहॉ न्यायालय में या मुकदमा–पूर्व चरण में लंबित विवाचों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन लोक अदालतों द्वारा दिया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और सभी पक्षों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होता है और इसके अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नही होती है। वाद के लिए वादी द्वारा भुगतान की गई पूरी अदालत का शुल्क वापस पाने के लिए लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल मामलों को हल करने का भी लाभ है।

यह काम किस प्रकार करता है–

- लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) का एक रूप है।
- वे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद करते है।
- वे पूर्व–मुकदमेबाजी चरण में मामलों को निपटाने में मदद करते है।
- विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत मद्द।

लोक अदालतों के प्रकारः-

- **राज्य लोक अदालत –**

  मुकदमा–पूवर्व और मुकदमा–पश्चात मामलों को निपटाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों /समितियों द्वारा आयोजित।

- **राष्ट्रीय लोक अदालत–**

  भारत के सर्वोच्च न्यायालय से तालुका न्यायालयों तक सभी अदालतों में मामलों को निपटाने के लिए त्रैमासिक रूप से आयोजित किया जाता है।

- **स्थायी लोक अदालत**–

  परिवहन, डाक, टेलीग्राफ आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए गठित किया गया है।

प्री–लिटिगेशन–

पूर्व–मुकदमेबाजी अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले विवाद को हल करने की प्रक्रिया है। इसमें सबूत इकट्ठा करना, बातचीत करना और दूसरे पक्ष के साथ सूचनाओं का अदान–प्रदान करना शामिल हो सकता है।

प्री–लिटिगेशन कैसे काम करता है?

विवाद में शामिल पक्ष लंबित मामलों की तरह ही मुद्दे को हल करने के लिए मिलकर काम करते है।

प्री–लिटिगेशन का उपयोग कब किया जाता है–

- पूर्व–मुकदमेबाजी का उपयोग वाणिज्यिक से सम्बन्धित बैंक विवादों में किया जा सकता है।

- यह अक्सर परिवार अदालतों में अनुशंसित है।

पराविधिक कार्यकर्ता/अधिकार मित्र के माध्यम से कानूनी सहायता–

पराविधिक कार्यकर्ता अपने समुदायों के लोगों को विधिक सहायता और जागरूकता प्रदान करते है। वे अधिवक्ता नही है, लेकिन उन्हें कानूनों और कानूनी प्रक्रिया का बुनियादी ज्ञान होता है।

पराविधिक कार्यकर्ता (पी.एल.वी.)/अधिकार मित्र कैसे सहायता करते है–

- **विधिक परामर्श:-** पराविधिक कार्यकर्ता ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विधिक परामर्श/सहायता व जानकारी प्रदान करते है।

- **विधिक जागरूकता:-** पराविधिक कार्यकर्ता लोगों को विभिन्न विधियों और विधिक प्रणाली के बारे में शिक्षित करते है।

- **विवाद समाधानः–** पराविधिक कार्यकर्ता लोगों के बीच सरल विवादों को सुलझााने में मद्द करते है।

- **गिरफ्तार लोगों के लिए कानूनी सहायताः–** पराविधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में मद्द करते है।

- **अपराधा के पीडितों के लिए विधिक सहायताः–** पराविधिक कार्यकर्ता अपराध के पीडितों को उचित देखभाल और ध्यान देने में मद्द करते है।

- पराविधिक कार्यकर्ता जिला स्तर व तहसील स्तर पर विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर आयोजित कर आम जनमानस को जागरूक करता है।

- बाल अधिकार, बाल श्रम, गुमशुदा बच्चों और बालिकाओं की तस्करी के बारे में जिला विधिक सेवा संस्थानों या बाल कल्याण समिति को देते है।

जागरूकता शिविर और विशेष अभियान के माध्यम से विधिक सहायता–

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता/साक्षरता शिविरों/कार्यक्रम का आयोजन करता है और आम जनमानस को वृहत स्तर पर जागरूक करने के लिए समय–समय पर अभियान चलाता है।

- विधिक जागरूकता शिविर और विशेष अभियान लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानने, विधिक सेवाओं और विभिन्न जनकल्याकारी सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचने में मद्द करते है। ये गतिविधियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य वंचित लोगों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना है।

विधिक जागरूकता शिविर और विशेष अभियान कैसे आयोजित किये जाते है–

- सेमिनार और व्याख्यान।
- जागरूकता शिविर/कार्यक्रम का आयोजन।
- जागरूकता रैली / प्रभात फेरी।
- बैनरों का प्रर्दशन।
- प्रचार–पम्पलेट, ब्रोशर का वितरण।
- टेलीविजन कार्यक्रम, इलेक्ट्रोनिक, सोशल मीडिया।
- मोबाईल वैन।
- नुक्कड़ नाटक।
- लघु वृत्तचित्र।

- सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- चित्रकलाये, निबंध लेखन, वाद–विवाद और भाषण जैसी प्रतियोग्यताये।
- कानूनी सरल ज्ञान माला पुस्तकों का वितरण।

पीडित मुआवजा योजना–

प्रारंभ में उत्तराखंड राज्य द्वारा उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना, 2013 के नाम से लागू की गई थी और बाद में उत्तराखण्ड राज्य ने भी नालसा द्वारा बनाई गई मुआवजा योजना अर्थात् उत्तराखण्ड यौन अपराधा एवं अन्य अपराधों से पीडित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का फ्रंट कार्यालय–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सन्र्दभ में, "फ्रंट कार्यालय" विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के लिए सर्म्पक के प्राथमिक बिन्दु को संदर्भित करता है, जहां वे प्रारम्भिक विधिक सुझाव प्राप्त कर सकते है, आवेदन दाखिल कर सकते है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है, अनिवार्य रूप से, यह विभाग है जो संभावित लोगों के साथ पहली बातचीत को संभालता है और विधिक सहायता मामलों के लिए सेवा प्रक्रिया का प्रबन्धन करता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फ्रंट कार्यालय के प्रमुख कार्य :-

- **विधिक परामर्श प्रदान करना–** बुनियादी विधिक प्रश्नों के उत्तर देना और उचित विधिक कार्यवाही/प्रक्रिया पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना।
- **विधिक सहायता आवेदनों को स्वीकार करना–** विधिक सहायता के लिए आवेदनों को प्राप्त करना और उन पर कार्यवाही करना।
- **अभिलेख का रखरखाव करना–** विधिक सहायता के मामलों और सम्बन्धित दस्तावेजों का रखरखाव करना।
- **विधिक सहायता प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं से जुडना–**जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपयुक्त अधिवक्ताओं को मामलों को प्रेषित करना।
- **विधिक जागरूकता बढ़ाना–** आम जनमानस को विधिक अधिकारों/सूचना के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना।

<u>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी में फ्रंट कार्यालय की संरचना–</u>

फ्रंट कार्यालय उत्तरकाशी में ए.डी.आर. भवन, जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत है।

- प्रतिधारक अधिवक्ता
- पराविधिक कार्यकर्ता (पी.एल.वी.)/अधिकार मित्र